न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारीः मदन सिंह चौधरी, आर.जे.एस.

10 वर्ष से अधिक अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक	-	**26.05.2026**
फौज. मूल प्र.सं.	-	**1046/2015(948/2017)**
सी.आई.एस नंबर	-	**917/2015**
सी.एन.आर. नंबर	-	**RJJL060000042015**
प्रथम सूचना रि. सं.	-	**79/2015**
अंतर्गत धारा	-	**457, 380 भारतीय दंड संहिता**
पुलिस थाना	-	**जसवंतपुरा**

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

उपस्थितः-

श्रीमान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

ब ना म

अभियुक्तगणः-

01. नरपतसिंह पुत्र बलवंतसिंह, निवासी जसवंतपुरा, पुलिस थाना जसवंतपुरा, जिला जालोर।
02. विक्रम कुमार पुत्र नवाराम, निवासी गोड़ा, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर।
03. भीखाराम पुत्र भेराराम, निवासी भवार, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर।

उपस्थितः-

01. श्रीमान बस्तीमल खत्री- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण भीखाराम व नरपतसिंह की की ओर से।
02. श्रीमान कुलदीप सिंह- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त विक्रम कुमार की ओर से।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	21.09.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	23.09.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	07.11.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	06.01.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	20.01.2016
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	26.05.2026
निर्णय की तिथि	26.05.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	जसवंत कुमार	ताईद एफआईआर
पीडब्ल्यू 2	सोमाराम	मौतबीर घटनास्थल
पीडब्ल्यू 3	कपूराराम	औपचारिक गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 4	ऊकाराम	औपचारिक गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 5	प्रेमसिंह	मौतबीर फर्द जब्ती व बरामदगी
पीडब्ल्यू 6	धीरज सिंह	मौतबीर फर्द जब्ती व बरामदगी
पीडब्ल्यू 7	अरविन्द कुमार	कायमी मुकदमा तफतीशी हालात नतीजा देना

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क. अभियोजन

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी.1
2.	फर्द नक्शा मौका	प्रदर्श पी.2
3.	पुलिस बयान श्री कपुराराम	प्रदर्श पी.3
4.	पुलिस बयान श्री ऊकाराम	प्रदर्श पी.4
5.	फर्द गिरफतारी श्री नरपतसिंह	प्रदर्श पी.5
6.	फर्द गिरफतारी श्री विक्रम कुमार	प्रदर्श पी.6
7.	फर्द गिरफतारी श्री भीखाराम	प्रदर्श पी.7
8.	फर्द जब्ती एक सिल्वर कलर की बोलेरो जीप नं. आरजे 16 टीए 0812	प्रदर्श पी.8
9.	फर्द जब्ती 300/- रुपये अभियुक्त भीखाराम	प्रदर्श पी.9
10.	फर्द जब्ती 360/- रुपये अभियुक्त विक्रम कुमार	प्रदर्श पी.10
11.	फर्द जब्ती 550/- रुपये अभियुक्त नरपतसिंह	प्रदर्श पी.11
12.	फर्द नक्शा नजरी एवं बरामदगी स्थल बरामदा 550 रुपये श्री नरपतसिंह	प्रदर्श पी.12
13.	फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त भीखाराम	प्रदर्श पी.13, 14 व 15
14.	फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त विक्रम कुमार	प्रदर्श पी.16, 17 व 18
15.	फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त नरपतसिंह	प्रदर्श पी.19, 20 व 21
16.	फर्द मौका तस्दीक एवं नक्शा नजरी जरिए अभियुक्त नरपतसिंह एवं विक्रम कुमार	प्रदर्श पी.22
17.	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2015 पुलिस थाना सेड़वा	प्रदर्श पी.23
18.	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2015 पुलिस थाना सेड़वा	प्रदर्श पी.24
19.	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी.24

ख. बचाव

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
01.	पुलिस बयान श्री चेनाराम	प्रदर्श डी.1

- निर्णय -

दिनांक 26.05.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 23.09.2015 को वक्त 11.00 एएम पर प्रार्थी श्री जसवन्तकुमार पुत्र गेनाजी निवासी जसवंतपुरा मय चेनाराम पुत्र हकाजी, कपुराराम पुत्र खिमाजी, उकाराम पुत्र भुराराम निवासीगण जसवंतपुरा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि-

> **"हमारे कुलदेवी मंदिर प्रजापत सोलंकी परिवार जसवंतपुरा में ब्रह्माणी माताजी मंदिर धारकडो का वास में आया हुआ है। दिनांक 21.09.2015 को रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर चांदी के माताजी के आभूषण जिसमें चांदी की छत्तर-4 व चांदी के नाग नग 4 व तलवार व भण्डारे में नकद राशि करीब पांच हजार रूपये थे जो चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी हुये। आपसे निवेदन है कि उचित कार्यवाही कर जांच करावें। चांदी के आभूषण करीब 800 ग्राम के दागीने थे।"**

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जसवंतपुरा द्वारा अभियोग संख्या 79/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भादसं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण नरपतसिंह पुत्र बलवंतसिंह, विक्रम कुमार पुत्र नवाराम, भीखाराम पुत्र भेराराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भादसं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भादसं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण नरपतसिंह पुत्र बलवंतसिंह, विक्रम कुमार पुत्र नवाराम, भीखाराम पुत्र भेराराम को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भादसं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. आया अभियुक्तगण नरपतसिंह, विक्रम व भीखाराम ने दिनांक 21.09.2015 व 22.09.2015 की दरम्यानी रात्रि में आबादी मौजा जसवंतपुरा में धाडकडों के वास में स्थित ब्रह्माणी माताजी मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में चोरी करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रौ गृह-भेदन कारित किया व मंदिर में विद्यमान मूर्ति के चांदी के छत्तर, नाग, तलवार एवं भण्डारे में रखे पांच-छः हजार रुपये इत्यादि बेईमानीपूर्वक आशय से परिवादी जसवंतकुमार की सहमति के बिना हटाकर चोरी की?

02. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय:-

05. अभियोजन के विरुद्ध व अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण:-

06. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 1 दिनांक 23.09.2015 को परिवादी जसवंत कुमार पुत्र गेनाजी द्वारा इस आशय की पेश की जाती है कि-

> **"जसवंतपुरा में सोलंकी परिवार के कुलदेवी ब्राह्मणी माताजी के मंदिर धारकड़ों का वास में दिनांक 21.09.2015 को रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी की गयी जिसमें चांदी के चार छत्तर, चांदी के नाग नग 4 व तलवार एवं भंडारे की नकद राशि करीबन 5-6 हजार रुपये की चोरी की गयी।"**

07. दौराने अनुसंधान फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श 2 रूबरू मौतबीरान किसनाराम एवं सोमाराम के मुर्तिब की गयी। घटनास्थल से कोई वस्तु वजह सबूत कब्जा पुलिस नहीं ली गयी। अभियुक्त नरपतसिंह को जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श 5 के दिनांक 30.09.2015 को गिरफतार किया गया। ठीक इसी प्रकार से अभियुक्त विक्रम कुमार को जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श 6 के गिरफतार किया गया तथा उसी रोज उसी दिन अभियुक्त भीखाराम को जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श 7 के गिरफतार किया गया। अभियुक्त नरपतसिंह से बोलेरो वाहन संख्या आरजे 16 टीए 0812 जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 8 के दिनांक 30.09.2015 को

जब्त की गयी। इसी वाहन के चोरी में प्रयुक्त होने का आरोप है। इसी प्रकार अभियुक्त भीखाराम से दिनांक 03.10.2015 को 300/- रुपये जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 9 के जब्त किए गए। दिनांक 03.10.2015 को ही अभियुक्त विक्रम कुमार से भी 360/- रुपये जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 10 के दिनांक 03.10.2015 को जब्त किए गए। इसी प्रकार अभियुक्त नरपतसिंह से दिनांक 03.10.2015 को ही 550/- रुपये जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 11 के जब्त किए गए। अभियुक्त भीखाराम द्वारा दी गयी फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श 13, 14 एवं 15, अभियुक्त विक्रम कुमार द्वारा दी गयी फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श 16, 17 एवं 18, नरपतसिंह की फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श 19, 20 एवं 21 है। इसी प्रकार से अभियुक्त नरपतसिंह एवं विक्रम कुमार की निशानदेही से मौका ए वारदात की तस्दीक जरिए फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श 22 के की गयी है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल रुपये 550/- बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श 12 है, पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श 23 है।

08. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 1 जसवंत कुमार है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"हमारे कुलदेवी का मंदिर घाटकड़ों के वास में आया हुआ हुआ है। वर्ष 2015 में रात्रि में अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर हमारे कुलदेवी माता के आभूषण, जिसमें चांदी के चार छत्र, कुछ छिल्लर, करीब तीन-चार हजार रूपये के रोकड़े व एक छोटी तलवार चोरी हुए थे। मैंने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जसवंतपुरा में दी थी, जो प्रदर्श पी-1 है। मैंने पुलिस को घटनास्थल का मौका दिखाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 है। उक्त दोनों फर्दो पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चोरी किसने की थी, मुझे जानकारी नहीं है।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि चोरी किस तारीख को हुई उसे याद नहीं है। मंदिर में कोई चौकीदार नहीं था। तोड़े गए ताले उन्होंने पुलिस को नहीं बताए थे।

09. इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 2 सोमाराम है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"आज से करीब 10-11 साल पहले मंदिर में हुई चोरी का मौका देखने आई थी। मेरे सामने पुलिस ने मौका देखा**

था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि मौके से पुलिस ने कोई सामान बरामद किया हो तो उसे नहीं पता। मौका रिपोर्ट प्रदर्श 2 में क्या लिखा था उसे नहीं पता।

10. गवाह पीडब्ल्यू 3 व 4 पक्षद्रोही रहे हैं।

11. गवाह पीडब्ल्यू 5 प्रेमसिंह है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"मैं दिनांक 30.09.2015 को पुलिस थाना जसवंतपुरा में कानि. के पद पर था। उस रोज प्रकरण सं. 79/15 में अनुसंधान अधिकारी अरविन्द कुमार थानाधिकारी ने मेरे व धीरजसिंह के रूबरू मुलजिम नरपतसिंह, विक्रम कुमार व भीखाराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5, 6 व 7 के गिरफतार किया था, उक्त तीनों फर्दो पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज आईओ ने जीप बोलेरो नं. आरजे 16 टीए 0812 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 के जब्त किया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 300 रूपये बकब्जा मुलजिम भीखाराम, प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 360 रूपये बकब्जा मुलजिम विक्रम कुमार, प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 550 रूपये रोकड़ बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नक्शानजरी बरामदगी स्थल 550 रूपये बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि विक्रम कुमार को थाना परिसर जसवंतपुरा से गिरफतार किया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श 10 में जब्तशुदा 360/- रुपये के नोट तत्कालीन प्रचलित नोट थे। प्रदर्श 10 में 360/- रुपये में कितने-कितने रूपये व कौन कौन से नोट थे, का कोई वर्णन नहीं है। बरामदशुदा नोट मुलजिम की दस्तयाबी के बाद जमा तलाशी के दौरान उसकी जेब की पर्श में से बरामद किए गए थे। वक्त बरामदगी बोलेरो जीप आरजे 16 टीए 0812 पुलिस थाने में ही पड़ी थी तथा थाने में पड़ी गाड़ी की सीट के नीचे से रुपये बरामद किए थे। बरामद किये गये रुपयों में

कैसे कैसे कितने कितने प्रकार के नोट थे वह नहीं बता सकता। बरामदगी के स्वतंत्र मौतबीरान नहीं है।

12. इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 6 धीरज सिंह है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"मैं दिनांक 30.09.2015 को पुलिस थाना जसवंतपुरा में कानि. के पद पर था। उस रोज प्रकरण सं. 79/15 में अनुसंधान अधिकारी अरविन्द कुमार थानाधिकारी ने मेरे व प्रेमसिंह के रूबरू मुलजिम नरपतसिंह, विक्रम कुमार व भीखाराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5, 6 व 7 के गिरफतार किया था, उक्त तीनों फर्दों पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज आईओ ने जीप बोलेरो नं. आरजे 16 टीए 0812 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 के जब्त किया था, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 300 रूपये बकब्जा मुलजिम भीखाराम, प्रदर्श पी 9 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 360 रूपये बकब्जा मुलजिम विक्रम कुमार, प्रदर्श पी 10 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 550 रूपये रोकड़ बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 11 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नक्शानजरी बरामदगी स्थल 550 रूपये बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 12 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त विक्रम कुमार को थाना परिसर से ही गिरफतार किया गया था। अभियुक्त से बरामद 360/- रुपये तत्कालीन प्रचलन वाले नोट थे। 360/- रुपये में कौन कौनसे नोट थे उसे याद नहीं है, न ही उसका उल्लेख प्रदर्श 10 में है। बरामदशुदा 360/- रुपये मुलजिम की दस्तयाबी के बाद जमा तलाशी उसकी जेब की पर्श से बरामद किये गये थे तथा बोलेरो जीप संख्या आरजे 16 टीए 0812 के सीट के नीचे से बरामद किये गये थे।

13. गवाह पीडब्ल्यू 7 अरविन्द कुमार है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"मैं दिनांक 29.09.2015 को पुलिस थाना जसवंतपुरा में थानाधिकारी के पद पर था। उस रोज प्रार्थी जसवंतकुमार**

ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट चोरी की मेरे समक्ष पेश की जिस पर प्रकरण सं. 79/15 अन्तर्गत धारा 457, 380 भादसं में दर्ज कर तफतीश शुरू की गई जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी प्रार्थी के व सी से डी ठकाराम के, ई से एफ चैन जी व जी से एच कपूराराम जी के हस्ताक्षर है, के से एल मेरा पुलिस पृष्टांकन है, तथा आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में घटना स्थल का निरीक्षण प्रार्थी जसवंत कुमार की निशादेही से किया जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी के व सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के हस्ताक्षर, व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में गवाहान जसवंतकुमार, ठकाराम, कपुराराम, चेनाराम के कथन उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। प्रकरण में आरोपी नरपतसिंह, विक्रम कुमार व भीखाराम को जरिये फर्द गिरफतारी क्रमशः प्रदर्श पी 5, 6 व 7 के गिरफतार किया गया जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के हस्ताक्षर, ई से एफ आरोपी के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुलजिम भीखाराम ने स्वेच्छया ईत्तला बरामदगी व मौका तस्दीक की दी जो क्रमशः प्रदर्श पी 13, 14 व 15 है जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुलजिम विक्रम कुमार ने स्वेच्छया इत्तला दी जो क्रमशः प्रदर्श पी 16, 17 व 18 है जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुलजिम नरपतसिंह ने स्वेच्छया इत्तला दी जो क्रमशः प्रदर्श पी 19, 20 व 21 है जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम नरपतसिंह, विक्रम कुमार व भीखाराम प्रदर्श पी 22 है, जिस पर ए से बी, सी से डी व ई से एफ मुलजिमान के व जी से एच मौतबीर के, आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती बोलेरो जीप न. आरजे 16 टीए 0812 बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ आरोप व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम भीखाराम की जमा तलाशी में 300 रूपये मिले जिसे जरिये फर्द जब्त किया गया। फर्द

जब्ती प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ मेरे हस्ताक्षर व X स्थान पर थाने की नमूना मोहर अंकित है। मुलजिम विक्रम कुमार की जमा तलाशी में 360 रूपये मिले जिसे जरिये फर्द जब्त किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ मुलजिम विक्रम के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर व X स्थान पर थाने की नमूना मोहर अंकित है। फर्द जब्ती 550 रूपये बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ मुलजिम के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर व X स्थान पर थाने की नमूना मोहर अंकित है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल 550 रूपये बकब्जा मुलजिम नरपतसिंह प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ आरोपी के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। सेवड़ा थाने की एफआईआर नं. 1/15 व 61/15 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 23 व 24 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी सेवड़ा के हस्ताक्षर है। सम्पुर्ण अनुसंधान से मुलजिम नरपतसिंह, विक्रम कुमार, व भीखाराम के विरूद्ध धारा 457 व 380 भादसं में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध नामजद नहीं है जो कि घटना के दो दिन बाद पेश हुयी थी। वह स्वीकार करते हैं कि गवाहान खेमराज एवं रामलाल दोनों पुलिसकर्मी होने के नाते उसके अधीनस्थ कार्यरत थे। गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में किसी गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह स्वीकार करते हैं कि बरामद बतायी गयी वस्तुओं की परिवादी द्वारा उन्होंने शिनाख्तगी नहीं करवायी थी। गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श 8, 9, 10, 11 के मौतबीरान भी उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। वह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी 1 के ओ से पी भाग में 5-6 हजार रूपये चोरी होने की बात लिखी हुई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 10 में जब्तशुदा 360/- रुपये के नोट कितने एवं किस मूल्य के नोट थे तथा उनके रिजर्व बैंक के क्रमांक के अंकन का कोई ब्यौरा नहीं है। आज उन्हें याद नहीं कि बरामदशुदा नोट तत्कालीन प्रचलन वाले थे या नहीं। यह कहना सही है कि मुलजिम विक्रम से धारा 27 की दो सूचनाएं प्राप्त की थी जिनमें प्रथम सूचना दिनांक 01.10.2015 को प्रदर्श 18 के अनुक्रम में एवं द्वितीय सूचना दिनांक 03.10.2015 को प्रदर्श 16 के

अनुक्रम में प्राप्त हुयी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श 18 के अनुक्रम में न तो रूपये की बरामदगी की गयी न ही जहां रूपये होना जरिये प्रदर्श 18 के बताया गया था वहां का मौका बनाया। यह कहना सही है कि मंदिर की तिजोरी की देखरेख करने एवं उसकी चाबियां किसी के पास होने के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है, न ही इस बाबत कोई अनुसंधान किया गया है कि चोरी होने से पहले रुपये किसने गिने थे तथा किसके कब्जे में थे।

14. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से अध्ययन, अवलोकन एवं विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं-

I. प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज नहीं है।

II. घटना के कोई चश्मदीद गवाहान नहीं है।

III. अनुसंधानकर्ता द्वारा इस बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया गया है कि मंदिर की रखवाली के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत था तथा किसके पास चाबियां थी। सभी अभियुक्तगण से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दो-दो सूचनाएं प्राप्त की गयी है तथा इसी अनुक्रम में जब्ती दिखाई गयी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दो प्रकार की सूचनाएं पत्रावली पर उपलब्ध क्यों है।

IV. जब्त किए गए 360/- रुपये अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से जरूर जब्त किए गए हैं जो कि बाद गिरफतारी दौराने खाना तलाशी बरामद हुए हैं इसलिए इस संबंध में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के क्रम में बरामद होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। दूसरी जब्ती 550/- रुपये जब्त होना उल्लेखित है वह थाना परिसर में खड़ी जीप से ही खुली अवस्था में बरामद हुए हैं।

V. बरामदशुदा रूपयों की पहचान का कोई ब्यौरा फर्द जब्तियों में उल्लेखित नहीं है।

VI. महज भारतीय मुद्रा बरामद होने से यह नहीं माना जा सकता कि यह वही रूपये है जो मंदिर से चुराए गए हों।

VII. रूपयों के अलावा अभियुक्तगण से किसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की बरामदगी नहीं हुयी है।

VIII. अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति प्रमाणित करने वाला कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

IX. प्रथम सूचना रिपोर्ट में मंदिर का ताला तोड़े जाने का उल्लेख है लेकिन पत्रावली पर ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे मंदिर का ताला टूटा हुआ होना प्रमाणित होता हो।

X. अनुसंधानकर्ता द्वारा इस बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया गया है कि मंदिर की चाबियां किस व्यक्ति के पास रहती थी।

XI. मंदिर के टूटे हुए तालों की कोई जब्ती नहीं हो सकी है।

15. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता एवं भूमिका को प्रमाणित करने वाला कोई ऐसा विशिष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया हो। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-<u>आदेश</u>-

16. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण नरपतसिंह पुत्र बलवंतसिंह, निवासी जसवंतपुरा, पुलिस थाना जसवंतपुरा, जिला जालोर, विक्रम कुमार पुत्र नवाराम, निवासी गोड़ा, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर, भीखाराम पुत्र भैराराम, निवासी भवार, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर को आरोपित अपराध धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जमानतनामा सुपुर्दगीनामा पर दिए गए हैं। जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)

17. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)